



संख्या : 5213 / जी०एस०(शिक्षा) / A11-281 / 2026

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपाते,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक /2 अक्टूबर, 2026

महोदय,

कृपय श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण क्रमांक 240109124348, दिनांक 15.09.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें के०एल०डी०ए०वी० पी०जी० कॉलेज रूड़की, हरिद्वार को कतिपय पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट	अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की अवधि।
1	2	3	4	5
01	के०एल०डी०ए०वी० पी०जी० कॉलेज रूड़की, हरिद्वार।	बी०एससी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)	180 सीट प्रति विषय	2021-22 से 2024-25
		बी०एससी० (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	
		बी०एससी० (भौतिक विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर साइंस)	30 सीट प्रति विषय	
		बी०एससी० (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी)	30 सीट प्रति विषय	
		एम०एससी० (भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	20 सीट प्रति विषय	

		एम0एससी0 (रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान)	25 सीट प्रति विषय
		एम0एससी0 (गणित)	40 सीट

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अनिवार्य रूप से संस्थान से पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित प्राभूति राशि बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,
Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 12-10-2026
17:40:56
कुलाधिपति के उपसचिव

संख्या : 5213/जी0एस0(शिक्षा)/A11-281/2026 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 12-10-2026
17:40:56
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।